

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मेसर्स साने रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 15/2024

11 अप्रैल, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंजी और माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिन्हा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम के धारा 16(2)(b) के प्रावधान को आपूर्तिकर्ता से विक्रेता-वादी द्वारा भौतिक रूप में वस्तुओं को प्राप्त करने की सीमा में अनिवार्य माना जाता है?

हेडनोट्स

केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017—बिहार वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017—धारा 16(2)(ब)—याचिकाकर्ताओं ने संबंधित प्राधिकरण से इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया—प्राधिकरण ने यह कहते हुए याचिकाकर्ताओं का दावा खारिज कर दिया कि विक्रेता से खरीदारों के पास वस्तुओं का कोई वास्तविक स्थानांतरण नहीं हुआ—याचिकाकर्ताओं ने अस्वीकृति के आदेश के खिलाफ अपील की—अपील प्राधिकरण ने भी याचिकाकर्ताओं का दावा खारिज कर दिया और उत्तरदाता के आदेश को पुष्टि की—प्राप्त वस्तुएँ या सेवाएँ का अर्थ है कि वस्तुओं या सेवाओं की प्राप्ति के बिना, आईटीसी का उपयोग नहीं किया जा सकता—'प्राप्त' शब्द कानून के तहत पात्रता स्थापित करने के लिए आवश्यक है—स्पष्टता सुनिश्चित करती है कि भौतिक स्वामित्व 'प्राप्त' वस्तुओं को समझने का एकमात्र मानदंड नहीं है—सीजीएसटी अधिनियम के तहत, आईटीसी का दावा अनुमानित प्राप्ति के आधार पर किया जा सकता है, भले ही वस्तुएँ बाद में या किसी अन्य स्थान पर भौतिक रूप से प्राप्त की जाएँ—याचिकाकर्ताओं ने विक्रेताओं को सीधे अंतिम उपभोक्ता को वस्तुएँ पहुँचाने के लिए निर्देशित किया—सप्लायर ने याचिकाकर्ताओं से एकत्रित कर का भुगतान किया।

निर्णय: संदेहास्पद आदेशों को रद्द किया गया और मामला दूसरे उत्तरदाता के पास केवल इस अंश में भेजा गया कि क्या याचिकाकर्ता-व्यापारी और आपूर्तिकर्ता के बीच कोई सहमति पत्र है और आगे की सामग्री जो अंत उपभोक्ता को सामान प्राप्ति के संदर्भ में सूचित करने से संबंधित है?

(पैराग्राफ 16, 19, 20, 21, 22)

न्याय दृष्टान्त

आस्था एंटरप्राइजेज बनाम बिहार राज्य और अन्य, सीडब्ल्यूजेसी क्रमांक 10359 का निर्णय, 2023; कर्नाटक राज्य बनाम एम/स ईकॉम गिल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2023 एससी सीसी ऑनलाइन एससी 248; साज फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य, सीडब्ल्यूजेसी क्रमांक 15465 का निर्णय, 2022— विशिष्ट

अधिनियमों की सूची

केंद्र सरकार का वस्तु और सेवाएँ कर अधिनियम, 2017; बिहार का वस्तु और सेवाएँ कर अधिनियम, 2017

मुख्य शब्दों की सूची

इनपुट टैक्स क्रेडिट; विक्रेता से खरीदार तक वस्तुओं की वास्तविक आवाजाही; बिल से जहाज ट्रांजेक्शन; केंद्रीय वस्तु और सेवा कर नियम, 2017, नियम 36, परिपत्र संख्या 3/1/2018-आईजीएसटी दिनांक 25.05.2018; एकीकृत वस्तु और सेवा कर की लागूता

प्रकरण से उत्पन्न

राज्य कर के उप आयुक्त का आदेश दिनांक 14.01.2023; और अपीलीय प्राधिकरण का पुष्टि आदेश दिनांक 7.10.2023।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री ब्रिसकेतु शरण पांडे, अधिवक्ता; श्री मदन कुमार, अधिवक्ता; श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता: श्री विकास कुमार, एस.सी. 11

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 470

मेसर्स साने रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय संख्या 404ए, कौशल्या एस्टेट, डाक बंगला, डाक बंगला, पटना, बिहार, 800001 पाटलिपुत्र सर्कल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत, अपने अधिकृत प्रतिनिधि संदीप कुमार के माध्यम से, आयु लगभग 32 वर्ष (पुरुष), विनोद कुमार के पुत्र, घर संख्या 1358, दूसरी मंजिल, थाना -चंडीगढ़ सेक्टर-34 सी, जिला-चंडीगढ़। (राज्य-हरियाणा)।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार।
5. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से।

.....प्रत्यर्थीगण

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 17613

मेसर्स बाथला टेलीटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय सं.-107, कल्याणी कॉम्प्लेक्स, एग्जिबिशन रोड, पटना, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत, पंजीकरण संख्या 10AAECB9200CIZK, अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, अर्थात् श्री सचिन सारस्वत माले, आयु लगभग 24 वर्ष, महेश चंद्र सारस्वत के पुत्र, निवासी - नाहरोई, कुंवरपुर, थाना - कोटवाली जिला-हाथरस, उत्तर प्रदेश-204101

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।

2. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सहायक राज्य कर आयुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, केंद्रीय वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. केंद्रीय कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, भारत सरकार, बेली रोड, पटना।
5. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से।

.....प्रत्यर्थीगण

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 17636

मेसर्स बाथला टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय कार्यालय संख्या 107, कल्याणी कॉम्प्लेक्स, एग्जिबिशन रोड, पटना, पंजीकरण संख्या 10AAECB9200C1ZK के साथ पाटलिपुत्र सर्कल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत, अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री सचिन सारस्वत, माले, जिनकी आयु लगभग 24 वर्ष, महेश चंद्र सारस्वत के पुत्र, निवासी - नाहरोई, कुंवरपुर, थाना - कोटवाली, जिला- हाथरस, उत्तर प्रदेश-204101 के माध्यम से।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सहायक राज्य कर आयुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, केंद्रीय वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. केंद्रीय कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, भारत सरकार, बेली रोड, पटना।
5. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110 001 के माध्यम से।

.....प्रत्यर्थीगण

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 17652

मेसर्स बाथला टेलीटेक प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय सं.-107, कल्याणी कॉम्प्लेक्स, एग्जिबिशन रोड, पटना, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत, पंजीकरण संख्या 10AAECB 9200CIZK, अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री सचिन सारस्वत माले के माध्यम से, आयु लगभग 24 वर्ष, महेश चंद्र सारस्वत के पुत्र, निवासी - नाहरोई, कुंवरपुर, थाना - कोटवाली जिला- हाथरस उत्तर प्रदेश-204101

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सहायक राज्य कर आयुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, केंद्रीय वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. केंद्रीय कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, भारत सरकार, बेली रोड, पटना।
5. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से।

..... प्रत्यर्थीगण

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 17654

मेसर्स बाथला टेलीटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय संख्या 107, कल्याणी कॉम्प्लेक्स, एग्जिबिशन रोड, पटना, पाटलिपुत्र सर्किल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण संख्या 10AAECB9200C1ZK है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री सचिन सारस्वत माले के माध्यम से, आयु लगभग 24 वर्ष, महेश चंद्र सारस्वत के पुत्र, निवासी - नाहरोई, कुंवरपुर, थाना - कोटवाली जिला- हाथरस उत्तर प्रदेश-204101।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य, आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सहायक राज्य कर आयुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पाटलिपुत्र सर्कल, केंद्रीय वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. केंद्रीय कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, भारत सरकार, बेली रोड, पटना।
5. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से।

.....प्रत्यर्थीगण

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 17914

मेसर्स उत्कृष्ट ट्रेड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कार्यालय कार्यालय संख्या 516, हरि निवास, डाक बंगला, मौर्य लोक, पटना में, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत, पंजीकरण संख्या 10AACCU3841NIZD ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि सद्दाब अख्तर के माध्यम से, आयु लगभग 29 वर्ष, असगर अली के पुत्र, एच. सं. 363, ब्लॉक 3, दक्षिणपुरिन, डॉ. अम्बेडकर नगर, थाना-डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला-दक्षिण दिल्ली।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य, राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना के माध्यम से।
2. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, सेंट्रल डिवीजन, पंत भवन, बेली रोड, पटना।
3. राज्य कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, बेली रोड।
4. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से ।

..... प्रतिवादी/ओ

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 17920

मेसर्स उत्कर्ष ट्रेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय कार्यालय संख्या 516, हरि निवास, डाक बंगला, मौर्य लोक, पटना, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत, पंजीकरण संख्या - 10AACCU3841N1ZD, अपने अधिकृत प्रतिनिधि सदाब अख्तर, पुरुष, आयु लगभग 29 वर्ष, असगर अली के पुत्र, एच. संख्या 363, ब्लॉक 3, दक्षिणपुरी, डॉ. अम्बेडकर नगर, पुलिस स्टेशन-डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला-दक्षिण दिल्ली।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना के माध्यम से।
2. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, सेंट्रल डिवीजन, पंत भवन, बेली रोड, पटना।
3. राज्य कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, बेली रोड, पटना।
4. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110 001 के माध्यम से।

..... प्रत्यर्थीगण

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 17922

मेसर्स उत्कर्ष ट्रेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय कार्यालय संख्या - 516, हरि निवास, डाक बंगला, मौर्यलोक, पटना, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत, पंजीकरण संख्या - 10AACCU3841N1ZD, ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि सदाब अख्तर, पुरुष, आयु लगभग 29 वर्ष, असगर अली के पुत्र, निवासी - एच. नंबर 363, ब्लॉक 3, दक्षिणपुरी, डॉ. अम्बेडकर नगर, पुलिस स्टेशन-डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला-दक्षिण दिल्ली के माध्यम से।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य, राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना के माध्यम से।
2. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, सेंट्रल डिवीजन, पंत भवन, बेली रोड, पटना।
3. राज्य कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, बेली रोड, पटना।
4. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।

..... प्रतिवादी/ओ

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 18089

मेसर्स कंसल्टिंग रूम्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय कार्यालय नं. एन-15, आशियाना गैलेक्सी, एग्जिबिशन रोड, पटना-800001 पाटलिपुत्र सर्कल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत, पंजीकरण संख्या - 10AAGCC4236P2ZN, ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि आकांक्षा खंडेलवाल के माध्यम से, (महिला) आयु - लगभग 32 वर्ष, राजेश कुमार खंडेलवाल की पुत्री, निवासी - हाउस नंबर 10, ब्लॉक-6, दूसरी मंजिल, स्प्रिंग फील्ड कॉलोनी, सेक 31/32, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य वाणिज्यिक कर आयुक्त-सह-सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त-सह-सचिव वाणिज्यिक कर, बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. सहायक राज्य कर आयुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार।
5. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार।
6. केंद्रीय कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, बेली रोड।
7. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से।

..... प्रत्यर्थीगण

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 18297

मेसर्स कंसल्टिंग रूम्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय कार्यालय सं. एन-15 आशियाना गैलेक्सी, एग्जिबिशन रोड, पटना-800001 पाटलिपुत्र सर्कल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत, पंजीकरण संख्या -10AAGCC4236P2ZN, अपने अधिकृत प्रतिनिधि आकांक्षा खंडेलवाल के माध्यम से, (महिला), आयु - लगभग 32 वर्ष, राजेश कुमार खंडेलवाल की पुत्री, निवासी - हाउस नंबर 10, ब्लॉक-6, दूसरी मंजिल, स्प्रिंग फील्ड कॉलोनी, सेक्टर 31/32 जिला-फरीदाबाद, हरियाणा।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, आयुक्त-सह-सचिव वाणिज्यिक कर, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. आयुक्त-सह-सचिव वाणिज्यिक कर, बिहार सरकार, पटना
3. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना

4. सहायक राज्य कर आयुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार।
5. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार
6. केंद्रीय कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, बेली रोड
7. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से

..... प्रत्यर्थीगण

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 18326

मेसर्स कंसल्टिंग रूम्स प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय नं. एन-15, आशियाना गैलेक्सी, एग्जिबिशन रोड, पटना-800001 पाटलिपुत्र सर्कल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत, पंजीकरण संख्या - 10AAGCC4236P2ZN, ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि आकांक्षा खंडेलवाल, के माध्यम से, (महिला) आयु - लगभग 32 वर्ष, राजेश कुमार खंडेलवाल की पुत्री, निवासी - हाउस नंबर 10, ब्लॉक-6, दूसरी मंजिल, स्प्रिंग फील्ड कॉलोनी, सेक 31/32, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, वाणिज्यिक कर आयुक्त-सह-सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त-सह-सचिव वाणिज्यिक कर, बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. सहायक राज्य कर आयुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार।
5. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार।
6. केंद्रीय कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, बेली रोड।
7. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से ।

..... प्रत्यर्थीगण

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 18394

मेसर्स कंसल्टिंग रूम्स प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय नं. एन-15, आशियाना गैलेक्सी, एग्जिबिशन रोड, पटना-800001 पाटलिपुत्र सर्कल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत, पंजीकरण संख्या - 10AAGCC4236P2ZN, ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि आकांक्षा खंडेलवाल के माध्यम से, (महिला) आयु - लगभग 32 वर्ष, राजेश कुमार खंडेलवाल की पुत्री, निवासी - हाउस नंबर 10, ब्लॉक-6, दूसरी मंजिल, स्प्रिंग फील्ड कॉलोनी, सेक 31/32, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य वाणिज्यिक कर आयुक्त-सह-सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त-सह-सचिव वाणिज्यिक कर, बिहार सरकार, पटना
3. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना
4. सहायक राज्य कर आयुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार।
5. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार
6. केंद्रीय कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, बेली रोड
7. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से

..... प्रत्यर्थी/गण

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 18473

मेसर्स कंसल्टिंग रूम्स प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय नं. एन-15, आशियाना गैलेक्सी, एग्जिबिशन रोड, पटना-800001 पाटलिपुत्र सर्कल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या - 10AAGCC4236P2ZN, ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि आकांक्षा खंडेलवाल के माध्यम से, (महिला) आयु - लगभग 32 वर्ष, राजेश कुमार खंडेलवाल की पुत्री, निवासी - हाउस नंबर 10, ब्लॉक-6, दूसरी मंजिल, स्प्रिंग फील्ड कॉलोनी, सेक 31/32, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, वाणिज्यिक कर आयुक्त-सह-सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त-सह-सचिव वाणिज्यिक कर, बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य कर (अपील) के अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. सहायक आयुक्त, राज्य कर पाटलिपुत्र सर्किल, पटना, मध्य बिहार,
5. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्किल, पटना, मध्य बिहार

6. केंद्रीय कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर पंत भवन, बेली रोड
7. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से।

..... प्रत्यर्थीगण

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 18497

मेसर्स कंसल्टिंग रूम्स प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय नं. एन-15, आशियाना गैलेक्सी, एग्जिबिशन रोड, पटना-800001 पाटलिपुत्र सर्कल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या - 10AAGCC4236P2ZN, ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि आकांक्षा खंडेलवाल, के माध्यम से, (महिला) आयु - लगभग 32 वर्ष, राजेश कुमार खंडेलवाल की पुत्री, निवासी - हाउस नंबर 10, ब्लॉक-6, दूसरी मंजिल, स्प्रिंग फील्ड कॉलोनी, सेक 31/32, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य आयुक्त सह सचिव वाणिज्यिक कर, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर, बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. सहायक राज्य कर आयुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना मध्य बिहार।
5. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना मध्य बिहार।
6. केंद्रीय कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, बेली रोड।
7. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 110001 के माध्यम से।

..... प्रत्यर्थीगण

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 18662

मेसर्स साने रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय संख्या 404 ए, कौशल्या एस्टेट, डाक बंगला, पटना, बिहार, 800001, पाटलिपुत्र सर्किल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत, इसके अधिकृत प्रतिनिधि संदीप कुमार के माध्यम से, उम्र लगभग 32 वर्ष (पुरुष), पुत्र विनोद कुमार, मकान संख्या 1358, द्वितीय तल, थाना - चंडीगढ़ सेक्टर - 34 सी, जिला - चंडीगढ़ (राज्य - हरियाणा)

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार।
5. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से।

..... प्रत्यर्थीगण

के साथ

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 15

मेसर्स साने रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय संख्या 404 ए, कौशल्या एस्टेट, डाक बंगला, पटना, बिहार, 800001, पाटलिपुत्र सर्किल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत, पंजीकरण इसके अधिकृत प्रतिनिधि संदीप कुमार के माध्यम से, उम्र लगभग 32 वर्ष (पुरुष), पुत्र - विनोद कुमार, मकान संख्या 1358, द्वितीय तल, थाना - चंडीगढ़ सेक्टर - 34 सी, जिला - चंडीगढ़ (राज्य - हरियाणा)

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना
4. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार
5. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से

..... प्रत्यर्थीगण

के साथ

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 136

मेसर्स साने रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय संख्या 404 ए, कौशल्या एस्टेट, डाक बंगला, पटना, बिहार, 800001, पाटलिपुत्र सर्किल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत है, इसके अधिकृत प्रतिनिधि संदीप कुमार के माध्यम से, उम्र लगभग 32 वर्ष (पुरुष), पुत्र - विनोद कुमार, मकान संख्या 1358, द्वितीय तल, थाना - चंडीगढ़ सेक्टर - 34 सी, जिला - चंडीगढ़ (राज्य - हरियाणा)।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना मध्य बिहार।
5. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110 001 के माध्यम से।

..... प्रत्यर्थीगण

के साथ

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 211

मेसर्स श्रेयश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कार्यालय बेसमेंट, दुकान संख्या 2/ए, अशोका प्लेस बेसमेंट, एग्जीबिशन रोड, पटना, बिहार - 800001 में है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि अर्थात् मोहम्मद शाहिद परवेज के माध्यम से, उम्र लगभग 41 वर्ष (पुरुष), मोहम्मद फारूक के पुत्र, निवासी वार्ड संख्या-14, डाक - महुआवा, बिशुनपुरवा, थाना - शिकारपुर जिला- पश्चिमी चंपारण ।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य, आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. सहायक राज्य कर आयुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार, पटना।
5. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार, पटना।
6. केंद्रीय कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, बेली रोड, पटना।

7. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से ।

..... प्रत्यर्थीगण

के साथ

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 312

मेसर्स श्रेयश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कार्यालय बेसमेंट, दुकान संख्या 2/ए, अशोका प्लेस बेसमेंट, एग्जीक्यूटिव रोड, पटना, बिहार - 800001 में है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि अर्थात् मोहम्मद शाहिद परवेज के माध्यम से, उम्र लगभग 41 वर्ष (पुरुष), पुत्र - मोहम्मद फारूक, निवासी वार्ड संख्या-14, डाक - महुआवा, बिशुनपुरवा, थाना शिकारपुर जिला- पश्चिमी चंपारण।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. सहायक राज्य कर आयुक्त, पाटलिपुत्र सिल्लर्स, पटना, मध्य बिहार, पटना।
5. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सिल्लर्स, पटना, मध्य बिहार, पटना।
6. केंद्रीय कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, बेली रोड, पटना।
7. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से।

..... प्रत्यर्थीगण

के साथ

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 343

मेसर्स साने रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय संख्या- 404 ए, कौशल्या एस्टेट, डाक बंगलो, डाक बंगलो, पटना बिहार, 800001 है, पाटलिपुत्र सर्किल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण इसके अधिकृत प्रतिनिधि संदीप कुमार के माध्यम से, उम्र लगभग 32 वर्ष (पुरुष), विनोद कुमार के पुत्र, मकान संख्या- 1358, द्वितीय तल, थाना- चंडीगढ़ सेक्टर- 34 सी, जिला- चंडीगढ़, (राज्य- हरियाणा)।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य, बिहार।
5. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।

..... प्रतिवादी/ओ

के साथ

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 345

मेसर्स साने रिटेल्ल्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय संख्या- 404 ए, कौशल्या एस्टेट, डाक बंगलो, डाक बंगलो, पटना बिहार, 800001 है, पाटलिपुत्र सर्किल, पटना के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण इसके अधिकृत प्रतिनिधि संदीप कुमार के माध्यम से, उम्र लगभग 32 वर्ष (पुरुष), विनोद कुमार के पुत्र, मकान संख्या- 1358, द्वितीय तल, थाना- चंडीगढ़ सेक्टर- 34 सी, जिला- चंडीगढ़, (राज्य- हरियाणा)।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य वाणिज्यिक कर/राज्य कर विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार।
2. आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना
4. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार
5. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से

.....प्रत्यर्थीगण

के साथ

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 356

मेसर्स श्रेयश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय बेसमेंट, दुकान संख्या 2/ए, अशोका प्लेस बेसमेंट, एग्जीबिशन रोड, पटना, बिहार-800001 में है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि अर्थात् मोहम्मद शाहिद परवेज के माध्यम से, उम्र लगभग 41 वर्ष (पुरुष), मोहम्मद फारूक के पुत्र, निवासी - वार्ड संख्या 14, डाक - महुआवा, बिशुनपुरवा, थाना - शिकारपुर, जिला-पश्चिम चंपारण ।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. सहायक राज्य कर आयुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार, पटना।
5. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, केंद्रीय बिहार, पटना।
6. केंद्रीय कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, बेली रोड, पटना।
7. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110 001 के माध्यम से ।

..... प्रत्यर्थीगण

के साथ

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 430

मेसर्स श्रेयश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय बेसमेंट, दुकान संख्या 2/ए, अशोका प्लेस बेसमेंट, एग्जीबिशन रोड, पटना, बिहार-800001 में है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि अर्थात् मोहम्मद शाहिद परवेज के माध्यम से, उम्र लगभग 41 वर्ष (पुरुष), मोहम्मद फारूक के पुत्र, निवासी - वार्ड संख्या 14, डाक - महुआवा, बिशुनपुरवा, थाना - शिकारपुर, जिला-पश्चिम चंपारण।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. सहायक राज्य कर आयुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार, पटना।
5. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार, पटना।

6. केंद्रीय कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, बेली रोड, पटना।
7. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से ।

..... प्रत्यर्थीगण

के साथ

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 542

मेसर्स श्रेयश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय बेसमेंट, दुकान संख्या 2/ए, अशोका प्लेस बेसमेंट, एग्जीबिशन रोड, पटना, बिहार-800001 में है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि अर्थात् मोहम्मद शाहिद परवेज के माध्यम से, उम्र लगभग 41 वर्ष (पुरुष), मोहम्मद फारूक के पुत्र, निवासी - वार्ड संख्या 14, डाक - महुआवा, बिशुनपुरवा, थाना - शिकारपुर, जिला-पश्चिम चंपारण ।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से ।
2. आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य कर (अपील) के अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. सहायक राज्य कर आयुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार, पटना।
5. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार, पटना।
6. केंद्रीय कर आयुक्त, बिहार वस्तु एवं सेवा कर, पंत भवन, बेली रोड, पटना।
7. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से।

..... प्रत्यर्थीगण

के साथ

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 549

मेसर्स श्रेयश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय बेसमेंट, दुकान संख्या 2/ए, अशोका प्लेस बेसमेंट, एग्जीबिशन रोड, पटना, बिहार-800001 में है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि अर्थात् मोहम्मद

शाहिद परवेज के माध्यम से, उम्र लगभग 41 वर्ष (पुरुष), मोहम्मद फारूक के पुत्र, निवासी - वार्ड संख्या 14, डाक - महुआवा, बिशुनपुरवा, थाना शिकारपुर, जिला-पश्चिम चंपारण।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त-सह-सचिव, बिहार सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग, पटना।
3. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना।
4. सहायक राज्य कर आयुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार, पटना।
5. राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्कल, पटना, मध्य बिहार, पटना।
6. केंद्रीय कर आयुक्त, बिहार माल और सेवा कर, पंत भवन, बेली रोड, पटना।
7. भारत संघ, प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से।

..... उत्तरदाता

उपस्थिति :

(2024 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 470 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता	:	श्री विकास कुमार, एस. सी. 11
यू. ओ. आई. के लिए:	:	डॉ. के. एन. सिंह, ए. एस. जी. श्री अंशुमन सिंह, अधिवक्ता

(2023 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 17613 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7 श्री संजय कुमार, जीपी 7 के एसी

सुश्री रूना, जीपी 7 के एसी
 यू. ओ. आई. के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, ए. एस. जी.
 श्री अंशुमन सिंह, अधिवक्ता

(2023 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 17636 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7
 श्री संजय कुमार, जीपी 7 के एसी
 सुश्री रूना, जीपी 7 के एसी

यू. ओ. आई. के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, ए.एस.जी.
 श्री अंशुमन सिंह, अधिवक्ता

(2023 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 17652 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7
 श्री संजय कुमार, जीपी 7 के एसी
 सुश्री रूना, जीपी 7 के एसी

यू. ओ. आई. के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, ए. एस. जी.
 श्री अंशुमन सिंह, अधिवक्ता

(2023 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 17654 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7
 श्री संजय कुमार, जीपी 7 के एसी
 सुश्री रूना, जीपी 7 के एसी

यू. ओ. आई. के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, ए. एस. जी.
श्री अंशुमन सिंह, अधिवक्ता

(2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 17914 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री तरुण गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री किशोर कुणाल, अधिवक्ता
श्री अनुज कुमार, अधिवक्ता
श्री पारिजात सौरव, अधिवक्ता
सुश्री अंकित प्रकाश, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री पी. के. शाही, ए. जी.
श्री विकास कुमार, एस.सी. 11

यू. ओ. आई. के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, ए. एस. जी.
श्री अंशुमन सिंह, अधिवक्ता

(2023 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 17920 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री तरुण गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री किशोर कुणाल, अधिवक्ता
श्री अनुज कुमार, अधिवक्ता
श्री पारिजात सौरव, अधिवक्ता
सुश्री अंकित प्रकाश, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से अधिवक्ता : श्री पी. के. शाही, ए.जी.
श्री विकास कुमार, एस.सी. 11

यू. ओ. आई. के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, ए.एस.जी.
श्री अंशुमन सिंह, अधिवक्ता

(2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 17922 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री तरुण गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री किशोर कुणाल, अधिवक्ता
श्री अनुज कुमार, अधिवक्ता
श्री पारिजात सौरव, अधिवक्ता
सुश्री अंकित प्रकाश, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से अधिवक्ता : श्री पी. के. शाही, ए.जी.
श्री विकास कुमार, एस.सी. 11

यू. ओ. आई. के लिए : डॉ. के. एन. सिंह, ए. एस. जी.

श्री अंशुमन सिंह, अधिवक्ता

(2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 18089 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 राज्य के अधिवक्ता : श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7
 श्री संजय कुमार, जीपी 7 के ए.सी.
 सुश्री रूना, जीपी 7 के ए.सी.

(2023 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 18297 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 राज्य के अधिवक्ता : श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7
 श्री संजय कुमार, ए.सी. से जीपी 7
 सुश्री रूना, ए.सी. से जीपी 7

(2023 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 18326 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 राज्य के अधिवक्ता : श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7
 श्री संजय कुमार, जीपी 7 के ए.सी.
 सुश्री रूना, जीपी 7 के ए.सी.

(2023 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 18394 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 राज्य के अधिवक्ता : श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7
 श्री संजय कुमार, जीपी 7 के ए.सी.
 सुश्री रूना, जीपी 7 के ए.सी.

(2023 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 18473 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 राज्य के अधिवक्ता : श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7
 श्री संजय कुमार, जीपी 7 के ए.सी.
 सुश्री रूना, जीपी 7 के ए.सी.

(2023 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 18497 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 राज्य के अधिवक्ता : श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7
 श्री संजय कुमार, जीपी 7 के ए.सी.
 सुश्री रूना, जीपी 7 के ए.सी.

(2023 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 18662 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री राघवानंद, जी. ए. 11

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2024 का 15)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री विकास कुमार, एस.सी. 11

(2024 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 136 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री राघवानंद, जी. ए. 11

(2024 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 211 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7
 श्री संजय कुमार, जीपी 7 के ए.सी.

सुश्री रूना, जीपी 7 के ए.सी.

(2024 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 312 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री ब्रिसकेतु शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 राज्य के अधिवक्ता : श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7
 श्री संजय कुमार, जीपी 7 के ए.सी.
 सुश्री रूना, जीपी 7 के ए.सी.

(2024 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 343 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री ब्रिसकेतु शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री राघवानंद, जी. ए. 11

(2024 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 345 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री ब्रिसकेतु शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : स्थायी वकील 11

(2024 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 356 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री ब्रिसकेतु शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 राज्य के अधिवक्ता : श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7
 श्री संजय कुमार, जीपी 7 के ए.सी.
 सुश्री रूना, जीपी 7 के ए.सी.

(2024 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 430 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री ब्रिसकेतु शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7
 श्री संजय कुमार, जीपी 7 के ए.सी.
 सुश्री रूना, जीपी 7 के ए.सी.

(2024 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 542 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री ब्रिसकेतु शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 राज्य के अधिवक्ता : श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7
 श्री संजय कुमार, जीपी 7 के ए.सी.
 सुश्री रूना, जीपी 7 के ए.सी.

(2024 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 549 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री ब्रिसकेतु शरण पांडे, अधिवक्ता
 श्री मदन कुमार, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 राज्य के अधिवक्ता : श्री विवेक प्रसाद, जीपी 7
 श्री संजय कुमार, जीपी 7 के ए.सी.
 सुश्री रूना, जीपी 7 के ए.सी.

पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिन्हा

सीएवी न्यायादेश

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

इन याचिकाओं में याचिकाकर्ता पंजीकृत डीलर बताए गए हैं। उन्होंने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में 'सीजीएसटी अधिनियम') / बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में 'बीजीएसटी अधिनियम') की धारा 16 (2) के तहत एक विशेष अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (संक्षेप में 'आईटीसी') का दावा किया था और उनके दावों को राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र अंचल, केंद्रीय प्रमंडल, पटना द्वारा खारिज कर दिया गया है। उपर्युक्त अधिकारी के निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए, उन्होंने अपीलीय प्राधिकारी अर्थात अपर राज्य

कर आयुक्त (अपील), केंद्रीय प्रमंडल, पटना के समक्ष अपील का वैधानिक उपाय अपनाया है। अपीलीय प्राधिकारी ने प्रत्येक मामले में राज्य कर उपायुक्त के निर्णय की पुष्टि की है। इसलिए, प्रत्येक याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त प्राधिकारियों के निर्णयों पर आपत्ति जताई है।

2. मामले के तथ्यात्मक पहलुओं के उद्देश्य से, मुख्य मामला मेसर्स उत्कृष्ट ट्रेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17914/2023 है। मेसर्स उत्कृष्ट ट्रेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:

तिथि	विशिष्टताएँ
	याचिकाकर्ता एक ऐसी कंपनी है जिसका व्यवसाय का प्रमुख स्थान (पी. पी. ओ. बी.) कार्यालय संख्या-516, हरि निवास, डाक बंगला, मौर्य लोक, पटना में स्थित है और यह बिहार राज्य सहित पूरे भारत में प्रौद्योगिकी उपकरणों के जीवन शैली उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, घरेलू उपकरणों, घर की सजावट आदि सहित उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापार में लगी हुई है।
17.10.2022	सी. जी. एस. टी. और एस. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 67 के तहत याचिकाकर्ता के पी. पी. ओ. बी. और व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान ("ए. पी. ओ. बी.") पर प्रतिवादी द्वारा एक निरीक्षण किया गया था, प्रथम दृष्टया इस कारण से कि संबंधित अवधि के लिए संपूर्ण उत्पादन कर देयता का भुगतान याचिकाकर्ता द्वारा आई. टी. सी. के माध्यम से किया गया था न कि नकद खाते के माध्यम से। (संलग्नक - 6)
18.10.2022	सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 70 के तहत समन प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा याचिकाकर्ता के निदेशक को साक्ष्य देने और दिसंबर 2017 से 25.08.2022 की अवधि के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जारी किया गया था। (संलग्नक - 7)
04.11.2022	याचिकाकर्ता ने उपरोक्त समन का जवाब दिया और प्रत्यर्थी संख्या 2 (अनुलग्नक - 8)
25.11.2022	(संलग्नक - 9)

29.11.2022	जी. एस. टी.-डी. आर. सी.-01 में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता को कर के दायित्व की सूचना और विवरण दिया गया था। (संलग्नक-10)
12.12.2022	याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा मांगी गई कर की पूरी राशि पर विवाद करते हुए सी. जी. एस. टी. नियमों के नियम 142 (2 ए) के अनुसार जी. एस. टी. डी. आर. सी.-01 ए के भाग बी में उपरोक्त सूचनाओं का जवाब दिया। (संलग्नक - 11)
13.12.2022	याचिकाकर्ता को प्रासंगिक अवधि के लिए अधिनियम की धारा 73 (1) के तहत जी. एस. टी. डी. आर. सी.-01 में कारणदर्शक नोटिस और कारणदर्शक नोटिस ("एस. सी. एन".) का सारांश दिया गया था। (संलग्नक - 12)
12.01.2023	याचिकाकर्ता ने एक बार फिर प्रतिवादी संख्या 2 (अनुलग्नक-13) द्वारा मांगे गए पूरे कर पर विवाद करते हुए उपरोक्त एससीएन को जवाब दिया।
14.01.2023	प्रत्यर्थी संख्या 2 ने संबंधित अवधि के लिए सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 73 (9) के तहत आदेश पारित किए और याचिकाकर्ता को देय कर राशि जमा करने का निर्देश दिया। 26,14,086-रु. 7,45,014-और रु। 2,61,410-(अनुलग्नक - 14)
20.02.2023	धारा 79 के तहत वसूली की कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता के बैंक को फॉर्म जी. एस. टी. डी. आर. सी.-13 जारी करके शुरू की गई थी। (संलग्नक - 15)
25.02.2023	याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2 से बैंक खातों पर बनाए गए ग्रहणाधिकार को हटाने का अनुरोध किया और यह भी प्रस्तुत किया कि न्यायनिर्णयन आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की वैधानिक समय सीमा समाप्त नहीं हुई है। (संलग्नक - 16)
09.03.2023	याचिकाकर्ता ने आदेश से व्यथित होकर, सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 107 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष अपील दायर की। (संलग्नक - 17)
11.08.2023	प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर जवाब दाखिल किया। (संलग्नक - 18)
21.08.2023	याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष अतिरिक्त प्रस्तुति दायर की। (संलग्नक - 19)
07.10.2023	प्रत्यर्थी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज करते हुए ऑर्डर-इन-अपील ("विवादित आदेश") पारित किया। (संलग्नक - 1).

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ

3. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तरुण गुलाटी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने द्वितीय प्रतिवादी के दिनांक 14.01.2023 के निर्णय (अनुलग्नक पी-14) पर आपत्ति की है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के आईटीसी के दावे को खारिज कर दिया गया है और याचिकाकर्ता के आईटीसी दावे को खारिज करने की आड़ में 26,14,086/- रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है, जिसका एकमात्र मुद्दा यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्तिकर्ता से जो भी माल खरीदा गया है, उसमें सीजीएसटी अधिनियम/बीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 (2) (बी) (आई) के अनुसार माल की कोई वास्तविक आवाजाही नहीं हुई है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की थी और इसे द्वितीय प्रतिवादी के दिनांक 07.10.2023 के निर्णय (अनुलग्नक पी-1) द्वारा पुष्टि की गई है।

4. प्रस्तुत किया गया है कि जीएसटी कानून के तहत, माल के व्यापार की स्थिति में, कर तब लागू होता है जब कोई क्रेता किसी विक्रेता से माल खरीदता है, वह माल के मूल्य के लिए कर के साथ-साथ उस पर जीएसटी का भुगतान करता है। क्रेता द्वारा विक्रेता को वास्तव में भुगतान किया गया जीएसटी क्रेता को आईटीसी के रूप में उपलब्ध होता है जिसका उपयोग क्रेता द्वारा इन वस्तुओं को आगे जारी करने पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किया जाता है, परिणामस्वरूप, उस पर प्रभावी कर केवल उसके मूल्य संवर्धन पर होता है क्योंकि पिछले लेनदेन में भुगता गया कर आगे की रिलीज पर कर का भुगतान करते समय क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होता है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के तहत आईटीसी के दावे के लिए समग्र शर्त यह है कि क्रेता ने वास्तव में विक्रेता को कर का भुगतान किया है और विक्रेता ने संबंधित सरकार के पास कर जमा किया है। प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के तहत सीजीएसटी का दावा करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा किया था। प्रतिवादियों का एकमात्र तर्क यह है कि विक्रेता से क्रेता तक माल की कोई वास्तविक आवाजाही नहीं हुई है, दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता ने विक्रेता को अंतिम उपभोक्ता तक माल पहुंचाने का निर्देश दिया था, जिसके परिणामस्वरूप विक्रेता से याचिकाकर्ता जैसे डीलर तक वास्तविक माल की आवाजाही मौजूद नहीं है और इसकी गारंटी नहीं है। इस तरह की व्यवस्था कुछ मुद्दों को दूर करने

के लिए की गई है, ताकि माल को आपूर्तिकर्ता से डीलर-याचिकाकर्ता तक पहुंचाने की आवश्यकता न हो और इसे डीलर-याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सीधे आपूर्तिकर्ता द्वारा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सके। जबकि याचिकाकर्ता द्वारा विक्रेता को खरीद और कर के भुगतान से संबंधित लेनदेन के कागजात और बदले में विक्रेता ने सरकार को कर का भुगतान किया था, इसलिए याचिकाकर्ता को आईटीसी से इनकार करना कमजोर आधार पर है। प्रतिवादियों ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि याचिकाकर्ता ने विक्रेता को कर का भुगतान किया था और बदले में विक्रेता ने सरकार को कर का भुगतान किया था। ऐसी परिस्थितियों में, यह सत्यापित करने का कोई मतलब नहीं है कि माल डीलर द्वारा भौतिक रूप से प्राप्त किया गया था या नहीं?

5. संबंधित प्राधिकारी ने दो निर्णयों अर्थात् आस्था एंटरप्राइजेज बनाम बिहार राज्य और अन्य को सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10359/2023 में पारित किया और कर्नाटक राज्य बनाम मेसर्स ईकॉम गिल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 248 में रिपोर्ट किया और आगे जवाबी हलफनामा और पूरक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है ताकि विवादित आदेशों को इस सीमा तक सुधारा जा सके कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 (2) (बी) के तहत प्रावधान 'बिल टू शिप लेनदेन' के लिए है, जो याचिकाकर्ता द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मॉडल नहीं है और याचिकाकर्ता द्वारा अनुसरण किए जाने का दावा किया गया व्यवसाय मॉडल नहीं है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त दो निर्णयों का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। वर्तमान मामले में, एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने धारा 16 (2) (बी) का अनुपालन इस सीमा तक किया है कि '(बी) उसने माल या सेवाएं या दोनों प्राप्त किए हैं'। उपर्युक्त प्रावधान यह है कि उसने माल प्राप्त किया है या नहीं, वर्तमान लिस में मुद्दा यह है। प्रतिवादियों द्वारा यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा विक्रेता से खरीद करने पर, उसे माल प्राप्त हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा भौतिक रूप से माल प्राप्त नहीं किया गया है, हालांकि, याचिकाकर्ता ने आपूर्तिकर्ता को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता द्वारा खरीदे गए माल को एक स्थान से दूसरे स्थान और फिर एक और स्थान

पर ले जाने जैसे बहुलता कारकों से बचने के लिए याचिकाकर्ता को माल वितरित करने के बजाय सीधे अंतिम खरीदार को वितरित किया जाना आवश्यक था। इस संबंध में दस्तावेज उपलब्ध हैं और उन्हें अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा अधिकारियों ने केवल इस आधार पर इस पर विचार नहीं किया है कि याचिकाकर्ता को विक्रेता से माल खरीदते समय भौतिक रूप से माल प्राप्त नहीं हुआ था।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि **आस्था एंटरप्राइजेज (सुप्रा)** के मामले में उद्धृत निर्णय जिसमें विक्रेता ने सरकार को कर न चुकाने में चूक की थी, यह पैराग्राफ संख्या 6, 10, 12 और 13 से स्पष्ट है, जबकि वर्तमान मामले में आपूर्तिकर्ता ने सरकार में उसके द्वारा एकत्रित कर जमा किया था और प्रतिवादियों द्वारा इस पर कोई विवाद नहीं किया गया है। **कर्नाटक राज्य (सुप्रा)** के मामले में निर्णय धारा 16 (2) (बी) की व्याख्या के संबंध में नहीं है, जहां तक माल की प्राप्ति का संबंध है, अर्थात् '(बी) उसने माल या सेवाएं या दोनों प्राप्त की हैं'। इसलिए तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर उद्धरण अलग-अलग हैं।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 36 तथा परिपत्र संख्या 3/1/2018-आई.जी.एस.टी. दिनांक 25.05.2018 का हवाला दिया, जो 'सीमा शुल्क बांड वाले गोदाम में जमा किए जाने के दौरान आपूर्ति किए गए माल पर एकीकृत माल एवं सेवा कर (एकीकृत कर) की प्रयोज्यता' से संबंधित है, पैराग्राफ संख्या 3, परिपत्र संख्या 61/35/2018-जी.एस.टी. दिनांक 04.09.2018 'ट्रांसपोर्टर के गोदाम में माल रखने के मामले में ई-वे बिल' से संबंधित है, पैराग्राफ संख्या 3 तथा 5। परिपत्र संख्या 241/35/2024-जी.एस.टी. दिनांक 31.12.2024 से यह स्पष्ट है कि डीलर द्वारा खरीदे गए माल को उसे भौतिक रूप से वितरित करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरी ओर, निर्माता/विक्रेता डीलर द्वारा माल की खरीद पर और डीलर के निर्देश पर, खरीदे गए माल को अंतिम क्रेता को दिया जा सकता है। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता-डीलर द्वारा आपूर्तिकर्ता/निर्माता से माल खरीदा गया और डीलर द्वारा निर्माता/आपूर्तिकर्ता को निर्देश दिए जाने पर, खरीदे गए माल को अंतिम क्रेता या उपभोक्ता को दिया जा सकता है, वर्तमान मामले में स्थिति यही है, इसलिए याचिकाकर्ता

आईटीसी का दावा करने का हकदार है और उसके दावे की अस्वीकृति को खारिज किया जा सकता है और आईटीसी के दावे के संबंध में आगे निर्देश जारी किया जा सकता है।

प्रत्यर्थी - राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

9. प्रतिवादी - राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि कर चालान से संबंधित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31 के साथ धारा 16 (2) (बी) के तहत, आपूर्तिकर्ता से डीलर तक माल की आवाजाही अनिवार्य है। उपर्युक्त तर्क के समर्थन में उन्होंने कर्नाटक राज्य बनाम मेसर्स ईकॉम गिल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक निर्णय पर भरोसा किया। उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दायर पूरक जवाबी हलफनामे पर भी भरोसा किया, विशेष रूप से, अनुच्छेद संख्या 6 और 22 को धारा 35 के साथ पढ़ा गया और इसी तरह एसएजे फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 15465/2022 में पारित एक और निर्णय पर भी भरोसा किया।

10. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील-राज्य ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उद्धृत 31.12.2024 दिनांकित परिपत्र अलग है और यह वर्तमान मामले में इस कारण से आकर्षित नहीं है कि उद्धृत परिपत्र दिनांक 31.12.2024 में, यह निर्माता और खरीदार के बीच कार्य अनुबंध है, जिसमें इस हद तक एक समझौता या समझौता ज्ञापन था कि माल को विक्रेता के निर्देश पर निर्माता द्वारा अंतिम खरीदार या उपभोक्ता को वितरित करने की आवश्यकता थी। जबकि वर्तमान मामले में स्थिति समान नहीं है और कार्य अनुबंध के रूप में सामग्री मौजूद नहीं है, दूसरे शब्दों में, विक्रेता, विक्रेता और खरीदार या अंतिम उपभोक्ता के बीच कोई कार्य अनुबंध/समझौता नहीं है। इस तरह के समझौते/समझौता ज्ञापन के अभाव में, याचिकाकर्ता और आपूर्तिकर्ता और अंतिम उपभोक्ता या खरीदार के बीच जो भी लेनदेन होते हैं, वे केवल कागज पर होते हैं, जबकि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16 (2) (बी) निर्दिष्ट करती है कि माल प्राप्त करना अनिवार्य है।

तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने कोई मामला नहीं बनाया है ताकि विवादित आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके और सी. डब्ल्यू. जे. सी. को खारिज किया जाता है।

विश्लेषण

11. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

12. भारतीय जी. एस. टी. के तहत तीन प्रकार के जी. एस. टी. हैं।

प्रणाली -

(क) सी. जी. एस. टी.-केंद्र सरकार द्वारा अंतर-राज्य आपूर्ति पर एकत्र किया जाता है।

(ख) एस. जी. एस. टी.-राज्य सरकार द्वारा अंतर-राज्य आपूर्ति पर एकत्र किया जाता है।

(ग) आई. जी. एस. टी.-केंद्र सरकार द्वारा अंतर-राज्य आपूर्ति द्वारा एकीकृत वस्तु और सेवा कर।

जीएसटी से भारत में अप्रत्यक्ष कर संरचना की दक्षता में सुधार, कर कैस्केडिंग को कम करने, अनुपालन में सुधार और पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था बनाने में लाभ हुआ है। जीएसटी उत्पादन और वितरण प्रक्रिया के हर चरण में लगाया जाता है, लेकिन अंततः इसका भुगतान अंतिम उपभोक्ता / अंतिम उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। अंतिम उपभोक्ता या अंतिम उपभोक्ता को छोड़कर, उत्पादन प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों को कर की प्रतिपूर्ति की जाती है।

आई. टी. सी.- व्यवसाय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर भुगतान किए गए जी. एस. टी. के लिए आई. टी. सी. का दावा कर सकते हैं, जो कर के व्यापक प्रभाव को समाप्त करने में मदद करता है।

13. मामले के गुण-दोष पर ध्यान देने से पहले, कुछ वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है जैसे कि धारा 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए पात्रता और शर्तों से संबंधित है, धारा 31 कर चालान से संबंधित है, धारा 35 खातों और अन्य रिकॉर्ड से संबंधित है और धारा 155 सी. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रमाण के बोझ से संबंधित है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश एकमात्र मुद्दे पर अलग किए जाने योग्य हैं कि धारा 16 (2) (बी) अर्थात् '(बी) उसने माल प्राप्त किया है या सेवाओं या दोनों, भौतिक रूप से माल की

प्राप्ति अनिवार्य नहीं है, क्योंकि माल की प्राप्ति की व्याख्या आपूर्तिकर्ता से विक्रेता-याचिकाकर्ता की ओर से दृश्य या अदृश्य तरीके से की जानी चाहिए। उपरोक्त प्रावधानों के उद्धरण इस प्रकार हैं:

“16. इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें— (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, और धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति से उसके द्वारा की गई ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिनका उसके कारोबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

16 (2) (ख) उसने माल या सेवाओं या दोनों को प्राप्त न कर लिया हो।

रेखांकित आपूर्ति की गई

[स्पष्टीकरण]- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि पंजीकृत व्यक्ति ने माल या, जैसा भी मामला हो, सेवाएं प्राप्त की हैं -

(i) जहां आपूर्तिकर्ता द्वारा माल प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर, चाहे वह एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो या अन्यथा, माल की आवाजाही से पहले या उसके दौरान, या तो माल के स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से या अन्यथा, वितरित किया जाता है;

(ii) जहाँ आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर और उसके कारण किसी व्यक्ति को सेवाएँ प्रदान की जाती हैं;]

(ग) [धारा 41 या धारा 43 ए] के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसी आपूर्ति के संबंध में प्रभारित कर का वास्तव में सरकार को भुगतान किया गया है, या तो नकद में या उक्त आपूर्ति के संबंध में स्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के माध्यम से; और

31. कर बीजक—(1) करयोग्य माल की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति,—

(क) जहां पूर्ति में मालों का संचलन अंतर्वर्तित है, वहां प्राप्तिकर्ता को पूर्ति के लिए माल को हटाए जाने से पूर्व या हटाते समय; या

(ख) किसी अन्य मामले में, माल के परिदान या प्राप्तिकर्ता को उपलब्ध कराए जाने से पूर्व या कराते समय, माल का वर्णन, परिमाण और मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, माल या आपूर्तियों के ऐसे प्रवर्गों, जिनके संबंध में कर बीजक जारी किया जाएगा, को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

2. करयोग्य सेवाओं की पूर्ति करने वाला कोई पंजीकृत व्यक्ति सेवा के उपबंध के पूर्व या पश्चात्, किंतु विहित अवधि के भीतर माल के वर्णन, परिमाण और मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा:

परंतु कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, -

(क) सेवाओं या आपूर्तियों की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिनके संबंध में कर चालान ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से जारी किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;

(ख) परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा उसमें उल्लिखित की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसी सेवाओं के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में—

(क) पूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जाएगा; या

(ख) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी तारीख से प्रारंभ होने वाली और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक की अवधि के दौरान पहले से जारी किन्हीं पुनरीक्षित बीजक जारी कर सकेगा;

(ख) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस समय कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा यदि ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य दो सौ रुपए से कम है;

(ग) छूट-प्राप्त माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करने वाला या धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक के बजाय ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक पूर्ति बिल जारी करेगा:

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस समय पूर्ति बिल जारी नहीं करेगा, यदि पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों का मूल्य ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दो सौ रुपए से कम है;

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में अग्रिम संदाय की प्राप्ति पर ऐसी संदाय की प्राप्ति का साक्ष्य देते हुए ऐसी विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाला रसीद वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा;

(ङ) जहां, माल या सेवा या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में अग्रिम प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति रसीद वाउचर जारी करता है, किन्तु तत्पश्चात् पूर्ति नहीं की जाती है और उसके अनुसरण में कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस व्यक्ति को, जिससे संदाय किया है, ऐसे संदाय के प्रति प्रतिदाय वाउचर जारी कर सकेगा;

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे पूर्तिकार से, जो माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवा या दोनों के संबंध में कोई बीजक जारी करेगा;

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, ऐसे पूर्तिकार को जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, संदाय करते समय संदाय वाउचर जारी करेगा।

(4) माल की निरंतर पूर्ति की दशा में, जहां लेखाओं के विवरण या आनुक्रमिक संदाय अंतर्वर्तित हैं, वहां बीजक को, यथास्थिति, प्रत्येक ऐसे विवरण को जारी करते समय या उससे पूर्व या, जब प्रत्येक ऐसा संदाय प्राप्त किया जाता है, जारी किया जाएगा।

(5) उपधारा (3) के खंड (ङ) के उपबंधों के अध्यक्षीन सेवाओं की निरंतर पूर्ति की दशा में,—

(क) जहां संदाय की तारीख को संविदा से अभिनिश्चित किया जा सकता है, वहां बीजक संदाय की नियत तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा;

(ख) जहां संदाय की तारीख को संविदा से अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, वहां बीजक उस समय या उससे पूर्व जारी किया जाएगा जब सेवाओं का पूर्तिकार संदाय प्राप्त करता है;

(ग) जहां संदाय को किसी घटना के पूरा होने से जोड़ा जाता है, वहां बीजक उस घटना के पूरा होने की तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा।

(6) किसी ऐसे मामले में जहां किसी संविदा के अधीन पूर्ति के पूरा होने से पूर्व सेवाओं की पूर्ति रुक जाती है, वहां बीजक ऐसे समय पर जारी किया जाएगा जब पूर्ति रुक जाती है और ऐसा बीजक रुके हुए पूर्ति की सीमा तक जारी किया जाएगा।

(7) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां विक्रय या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजे जा रहे या ले जा रहे माल को पूर्ति किए जाने से पूर्व हटाया जाता है, वहां बीजक पूर्ति के समय या उससे पूर्व अथवा हटाए जाने की तारीख से छह मास में, जो भी पूर्वतर हो, जारी किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कर बीजक" पद के अंतर्गत पहले की गई किसी पूर्ति के संबंध में पूर्तिकार द्वारा जारी कोई पुनरीक्षित बीजक भी होगा।

यह खंड सरकार को सेवाओं को निर्दिष्ट करने का भी अधिकार देता है, जिसके लिए कर चालान के बदले जारी किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज को कर चालान माना जाएगा और उन सेवाओं को भी निर्दिष्ट करेगा जहां कोई कर चालान जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यह खंड कुछ मामलों में कर चालान के अलावा अन्य दस्तावेजों को जारी करने का प्रावधान करता है।(खंडों पर टिप्पणी)।

35. लेखा और अन्य अभिलेख — (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में यथावर्णित अपने कारोबार के मूल स्थान पर—

(क) माल के उत्पादन और विनिर्माण;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों की आवक या जावक पूर्ति;

(ग) माल का स्टॉक;

(घ) प्राप्त किया गया इनपुट कर प्रत्यय;

(ङ) संदेय और संदत्त आउटपुट कर; और

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, जो विहित की जाएं, का सत्य और शुद्ध लेखा रखेगा और उसे अनुरक्षित रखेगा:

परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र में कारोबार के एक से अधिक स्थान विनिर्दिष्ट हैं, वहां कारोबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखा कारोबार के ऐसे स्थानों में रखे जाएंगे:

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे लेखा और अन्य विशिष्टियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रख सकेगा और उन्हें अनुरक्षित रख सकेगा।

(2) भंडागार या गोदाम या माल के भंडारण के लिए उपयोग में लाए गए किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या प्रचालक और प्रत्येक वाहक इस बात पर ध्यान दिए बिना

कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है या नहीं, परेषक, परेषिती के अभिलेख और माल के अन्य सुसंगत ब्यौरे रखेगा, जो विहित किए जाएं।

(3) आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग अधिसूचित कर सकेगा, जो अतिरिक्त लेखा या दस्तावेज बनाएंगे।

(4) जहां आयुक्त यह समझता है कि कराधेय व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के उपबंधों के अनुसार लेखा रखने और अनुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लेखा अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक हो जाता है, अपने लेखा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए।

परंतु कि इस उपधारा में निहित टिप्पणियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग पर लागू होंगी, जिनकी लेखा पुस्तकें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या किसी कानून के तहत स्थानीय प्राधिकरणों के खातों की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन हैं।

(6) जहां धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (क) के उपबंधों के अध्याधीन, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में असफल रहता है, वहां उचित अधिकारी ऐसे माल या सेवाओं या दोनों पर, जिनका लेखा नहीं दिया गया है, संदेय कर की रकम इस प्रकार अवधारित करेगा, मानो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई थी और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

यह खंड यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति अपने मुख्य व्यावसायिक स्थान पर निर्दिष्ट विवरणों का सही लेखा-जोखा दर्शाने वाले अभिलेख रखेगा। यह खंड वेयरहाउस या गोदाम या माल के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी अन्य स्थान के मालिक या संचालक और प्रत्येक ट्रांसपोर्टर पर निर्दिष्ट अभिलेखों को बनाए रखने की जिम्मेदारी डालता है। यह खंड आयुक्त को कर योग्य व्यक्तियों के एक वर्ग को अन्य निर्धारित तरीके से अतिरिक्त खाते बनाए रखने के लिए अधिसूचित करने का अधिकार देता है। यह खंड

यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसका वित्तीय वर्ष के दौरान कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक है, उसे अपने खातों का चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना होगा। (खंडों पर टिप्पणियाँ)।

155. सबूत का भार — जहां कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, वहां ऐसे दावे को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा।

इस खंड में प्रावधान है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के सही दावे को साबित करने का बोझ क्रेडिट का दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा। (खंडों पर टिप्पणी)।”

14. प्रतिवादी - राज्य ने दो निर्णयों पर भरोसा किया अर्थात् आस्था एंटरप्राइजेज (ऊपर उद्धृत) और कर्नाटक राज्य (ऊपर उद्धृत) के मामले में, कर्नाटक राज्य बनाम मेसर्स ईकॉम गिल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में उपर्युक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 15 को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है और यह इस प्रकार है:

“15. इस प्रकार, ऊपर उद्धृत धारा 70 के प्रावधान अपने स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि आई. टी. सी. के दावे को सही साबित करने का भार ऐसे आई. टी. सी. का दावा करने वाले खरीदार व्यापारी पर है। इस बात के प्रमाण का बोझ कि आई. टी. सी. का दावा सही है, पूरी तरह से निर्धारिती पर है जिसे उक्त बोझ का निर्वहन करना है। केवल इसलिए कि इस तरह के आई. टी. सी. का दावा करने वाला विक्रेता दावा करता है कि वह एक प्रामाणिक खरीदार है, पर्याप्त और संतोषजनक नहीं है। आई. टी. सी. की सत्यता साबित करने का भार ऐसे आई. टी. सी. का दावा करने वाले विक्रेता पर रहता है। सबूत का ऐसा बोझ राजस्व पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। केवल चालानों का उत्पादन या चेक द्वारा किया गया भुगतान पर्याप्त नहीं है और इसे केवीएटी अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत डाले गए प्रमाण के बोझ का निर्वहन नहीं कहा जा सकता है। आई. टी. सी. का दावा करने वाले विक्रेता को बिना किसी संदेह के वास्तविक लेन-देन को साबित करना होता है जिसे विक्रेता का नाम और पता, उस वाहन का विवरण जिसने माल की डिलीवरी की है, माल ढुलाई शुल्क का भुगतान, माल की डिलीवरी लेने की स्वीकृति, कर चालान और भुगतान विवरण आदि प्रस्तुत करके साबित किया जा सकता है। उपरोक्त जानकारी कर चालान, भुगतान के विवरण आदि के अतिरिक्त होगी।”

15. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उस मामले में बिक्री से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई थी, वाहन के विक्रेता विवरण और अन्य मुद्दों का संबंध है, जबकि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, इसलिए, मूल्यांकन अधिकारी को एक बार फिर से जांच करने की आवश्यकता है कि विक्रेता, विक्रेता के बीच समझौता ज्ञापन क्या था और याचिकाकर्ता-विक्रेता द्वारा माल की प्राप्ति के अभाव में माल की डिलीवरी के संबंध में अंतिम उपभोक्ता को क्या संचार था। इसके अलावा, एस. ए. जे. फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर उद्धृत) के मामले में, यह जी. एस. टी. न्यायाधिकरण के समक्ष वैकल्पिक उपाय का लाभ न उठाने और 20 प्रतिशत जमा करने के संबंध में है। जी. एस. टी. न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया गया है और 20 प्रतिशत या 10 प्रतिशत का प्रश्न विभिन्न परिपत्रों के संदर्भ में था। वर्तमान मामले में मुद्दा इस हद तक पूरी तरह से अलग है कि क्या याचिकाकर्ता एक व्यापारी होने के नाते आपूर्तिकर्ता से माल की प्राप्ति में है और उसके बाद इसे अंतिम उपभोक्ता/खरीदार को बेच दिया गया और बदले में आपूर्तिकर्ता ने याचिकाकर्ता-विक्रेता द्वारा खरीदे गए सामान को सीधे अंतिम उपभोक्ता को वितरित कर दिया है या नहीं। इस संबंध में, मूल्यांकन अधिकारी को उपरोक्त सामग्री पर ध्यान देना होगा।

16. एक से अधिक अवसरों पर माल के परिवहन और वितरण से संबंधित कुछ मुद्दों को दूर करने के लिए, डीलर और आपूर्तिकर्ता के बीच समझौता / समझौता ज्ञापन होता है। आपूर्तिकर्ता से माल की खरीद पर, आपूर्तिकर्ता से अनुरोध किया गया था कि वह माल को सीधे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाए, जिसके परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ता से याचिकाकर्ता तक माल की कोई भौतिक आवाजाही नहीं हुई। दोनों अधिकारियों ने अपने विवादित आदेशों में इसकी सराहना नहीं की है। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए संबंधित तर्कों की सराहना नहीं की गई है और उन पर विचार नहीं किया गया है, इस हद तक कि पूरी तरह से दिमाग का उपयोग नहीं किया गया है। अधिकारियों द्वारा मांगे गए जो भी दस्तावेज हैं, उन्हें समय-समय पर उनके कारण बताओ नोटिस और अन्य संचार के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। आस्था एंटरप्राइजेज और कर्नाटक राज्य के मामले में अधिकारियों द्वारा उद्धृत दो निर्णय (ऊपर उद्धृत) वर्तमान मामले में

लागू नहीं होते हैं। वे अलग-अलग हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने 31.12.2024 के नवीनतम परिपत्र पर भारी भरोसा किया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा डीलर को माल की भौतिक डिलीवरी करने की आवश्यकता नहीं है, डीलर और आपूर्तिकर्ता के बीच एक समझौते पर आपूर्तिकर्ता सीधे अंतिम उपभोक्ता को माल वितरित कर सकता है। वर्तमान मामले में, स्थिति परिपत्र के बराबर है, इसलिए याचिकाकर्ता आईटीसी का हकदार है। दूसरी ओर, राज्य - प्रतिवादी का तर्क केवल इस बात तक सीमित है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 (2) (बी) के अनुसार सामान का भौतिक रूप से आपूर्तिकर्ता से डीलर के पास स्थानांतरण होना चाहिए, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31 के साथ पढ़ते हुए, जो टैक्स इनवॉइस से संबंधित है। उन्होंने दो निर्णयों पर भरोसा किया, अर्थात् पहला **आस्था एंटरप्राइजेज और कर्नाटक राज्य के मामले में (ऊपर उद्धृत)** और दूसरा **एसएजे फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर उद्धृत)** और धारा 35। समग्र तर्कों पर गौर करें तो वर्तमान लिस में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 (2) (बी) डीलर-याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्तिकर्ता से भौतिक रूप में माल प्राप्त करने की सीमा तक अनिवार्य है या नहीं?

17. अध्याय-V सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16 से 21 तक के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई. टी. सी.) के संबंध में है। धारा 16 के तहत आवश्यकताएँ हैं (ए) पोर्टल में अपलोड करने के लिए खरीद चालान और ऐसे चालानों का विवरण या डेबिट - जीएसटीआर - 1 (आपूर्तिकर्ता) पोर्टल पर अपलोड करना। विक्रेता को डीलर का जीएसटी (वित्त अधिनियम, 2021 के तहत) बताना होगा (बी) प्राप्त माल या दोनों। समग्र आवश्यकताएँ चालान/डेबिट नोट (दस्तावेज) हैं जीएसटीआर - 2 ए/2 बी। जीएसटीआर - 1 (आपूर्तिकर्ता) को पंजीकृत किया जाना चाहिए और पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए और जीएसटीआर - 2 बी को प्रतिबिंबित करना चाहिए। रसीद माल की डिलीवरी अनिवार्य है और यह भौतिक रूप में अनिवार्य नहीं है, क्योंकि धारा 16 (2) (बी) प्राप्त माल के संबंध में है। धारा 38 के तहत आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता की जानकारी (पोर्टल धारा 37 के तहत है) और धारा 39 के तहत दाखिल रिटर्न (आईटीसी प्रतिवर्ती जीएसटीआर - 3 बी) नियम 36 के तहत आईटीसी का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज चालान, प्राप्तकर्ता, कर का प्रमाण, डेबिट नोट, संशोधित चालान हैं।

18. संचित आईटीसी की वापसी, आईटीसी का दावा करने के लिए याचिकाकर्ता को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 के साथ सीजीएसटी नियमों के नियम 89 के तहत समय स्लॉट के भीतर सहायक सामग्री जानकारी के साथ फॉर्म आरएफडी - 01 दाखिल करना होगा (i) आपूर्तिकर्ता ने जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है और (ii) आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता या खरीदार के जीएसटीआर - 1 और जीएसटीआर - 2 बी में चालान अपलोड किया है। सीजीएसटी परिपत्र संख्या 241/35/2024-जीएसटी दिनांक 31.12.2024 के अनुसार ऐसे मामलों में जहां आपूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्ति (डीलर) को माल वितरित किया जाता है, या तो सीधे या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर। पंजीकृत व्यक्ति को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के प्रयोजन के लिए उक्त माल प्राप्त करने वाला माना जाएगा। ऐसे मामले जहां माल पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया माना जाता है और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 (2) (बी) के स्पष्टीकरण के अनुसार, माल पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा जहां:

- * आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर माल प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है, चाहे वह एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो या अन्यथा;
- * इस तरह का निर्देश माल की आवाजाही से पहले या उसके दौरान दिया जा सकता है; और
- * माल को माल के स्वामित्व के दस्तावेज के हस्तांतरण के माध्यम से या अन्यथा वितरित किया जा सकता है।

19. "प्राप्त"-वस्तु या सेवाएँ। इसका मतलब है कि वस्तुओं या सेवाओं की प्राप्ति के बिना आईटीसी का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। कानून के तहत पात्रता स्थापित करने के लिए 'प्राप्त' शब्द आवश्यक है।

'मानित रसीद' परिदृश्यों का स्पष्टीकरण -

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के तहत स्पष्टीकरण विशिष्ट स्थितियों को शामिल करने के लिए 'प्राप्त' की व्याख्या का विस्तार करता है जहां पंजीकृत व्यक्ति के पास माल का भौतिक कब्जा नहीं हो सकता है। सामान को निम्नलिखित शर्तों के तहत 'प्राप्त' माना जाता है -

(क) जब आपूर्तिकर्ता माल की आवाजाही से पहले या उसके दौरान, पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर माल को किसी ट्रांसपोर्टर या किसी अन्य व्यक्ति को वितरित करता है।

(ख) जब स्वामित्व या भौतिक हस्तांतरण के दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से माल की डिलीवरी की पुष्टि की जाती है।

यह स्पष्टीकरण यह सुनिश्चित करता है कि भौतिक कब्जा 'प्राप्त' माल को मानने का एकमात्र मानदंड नहीं है।

सी. जी. एस. टी. अधिनियम में यह आवश्यकता नहीं है कि आई. टी. सी. पात्रता के लिए माल को किसी विशिष्ट स्थान पर भौतिक रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क जैसे पुराने कानूनों से एक महत्वपूर्ण विचलन है, जिसके लिए निर्माता के परिसर पर भौतिक रसीद की आवश्यकता होती है। सीजीएसटी अधिनियम के अनुसार आईटीसी पात्रता के लिए माल को किसी विशिष्ट स्थान पर भौतिक रूप से प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क जैसे पुराने कानूनों से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसमें सेनवैट क्रेडिट का दावा करने के लिए निर्माता के परिसर में भौतिक रसीद की आवश्यकता होती थी। सीजीएसटी अधिनियम के तहत, आईटीसी का दावा डीमड रसीद के आधार पर किया जा सकता है, भले ही माल बाद में या किसी अलग स्थान पर भौतिक रूप से प्राप्त किया गया हो। तदनुसार, स्पष्टीकरण के संदर्भ में कि क्या आपूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को माल वितरित किया जाता है, तो पंजीकृत व्यक्ति को सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16 (2) (बी) के उद्देश्य से ऐसा माल 'प्राप्त' माना जाएगा। सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16 और धारा 17 की अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन, माल से संबंधित आगे के अनुपालन का उपयोग व्यवसाय के उद्देश्य और आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि उक्त माल का उपयोग

किया जाता है या उक्त पंजीकृत व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने में उपयोग करने का इरादा है। यदि ऐसी वस्तुओं का उपयोग किसी भी स्तर पर गैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो माल की भौतिक प्राप्ति से पहले या बाद में पंजीकृत व्यक्ति सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16 (1) के तहत ऐसी वस्तुओं के संबंध में आई. टी. सी. का हकदार नहीं होगा।

20. इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विक्रेता द्वारा आपूर्तिकर्ता से माल की प्राप्ति भौतिक रूप में होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, यदि विक्रेता सक्षम प्राधिकारी को इस हद तक अवगत कराता है कि आपूर्तिकर्ता, विक्रेता के बीच एक समझौता/समझौता ज्ञापन है और माल की खरीद और अंतिम उपभोक्ता तक इसकी डिलीवरी के लेन-देन के संबंध में अंतिम उपभोक्ता को सूचना दी गई है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने संबंधित प्राधिकारी को सभी आवश्यक सामग्री जानकारी इस हद तक प्रस्तुत की थी कि उसे आपूर्तिकर्ता से माल की प्राप्ति हो रही है। दूसरी ओर, उन्होंने आपूर्तिकर्ता को अंतिम उपभोक्ता को खरीदे गए सामान की आपूर्ति करने का निर्देश दिया था। इस हद तक संबंधित प्राधिकारी से याचिकाकर्ता-विक्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच समझौता ज्ञापन/समझौते के कागजात जैसी प्रासंगिक सामग्री जानकारी की जांच करने और अंतिम उपभोक्ता को सूचित करने की आवश्यकता होती है ताकि विक्रेता द्वारा आपूर्तिकर्ता से माल की खरीद और अंतिम उपभोक्ता को माल की बिक्री और माल की प्राप्ति से संबंधित लेनदेन को पूरा किया जा सके।

21. उत्तरदाताओं की ओर से उद्धृत निर्णय वर्तमान सूची में शामिल मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सहायता नहीं कर रहे हैं। उद्धृत निर्णय सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16 (2) (बी) की व्याख्या से संबंधित नहीं हैं, जहां तक भौतिक रूप से माल की प्राप्ति या अन्य शर्तों को पूरा करने के साथ नहीं पढ़ा जाता है। आस्था एंटरप्राइजेज (ऊपर उद्धृत) के मामले में, आपूर्तिकर्ता ने खरीदार से एकत्र कर संबंधित सरकार को जमा नहीं किया था और यह अनिवार्य है। वर्तमान मामले में कहा गया है कि आपूर्तिकर्ता के पास याचिकाकर्ता से संग्रहित कर जमा किया जाता है और यह राज्य-प्रतिवादी द्वारा विवादित नहीं है।

22. इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, याचिकाकर्ता ने एक मामला बनाया है ताकि दिनांकित 14.01.2023 (अनुलग्नक-P14) और 07.10.2023 (अनुलग्नक-P1) के विवादित आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके और इन आदेशों को रद्द कर जाता है। मामले को दूसरे प्रतिवादी - राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र सर्किल, सेंट्रल डिवीजन, पंत भवन, बेली रोड, पटना को वापस भेजा जाता है ताकि सीजीएसटी अधिनियम के नियम 16 (2) (बी) के अनुपालन के संबंध में नए सिरे से कार्रवाई की जा सके, केवल इस सीमा तक कि क्या याचिकाकर्ता - डीलर और आपूर्तिकर्ता के बीच कोई समझौता ज्ञापन है और माल की प्राप्ति (आपूर्तिकर्ता द्वारा माल की डिलीवरी, सीधे या ट्रांसपोर्टर के माध्यम से या नहीं?) की सीमा तक अंतिम उपभोक्ता को सूचित करने से संबंधित कोई अन्य सामग्री है। यदि इन सामग्रियों की जांच की जाती है और सामग्री जानकारी याचिकाकर्ता के पक्ष में होती है, तो उस स्थिति में, संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण करने का निर्देश दिया जाता है, यदि याचिकाकर्ता आपूर्तिकर्ता की सीमा तक सामग्री जानकारी से अवगत होने में विफल रहता है, तो याचिकाकर्ता-डीलर के निर्देश पर आपूर्तिकर्ता ने दस्तावेजी सबूत के साथ अंतिम उपभोक्ता को माल वितरित किया है, विस्तृत नोटिस जारी करने और याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद एक विस्तृत स्पष्ट आदेश पारित किया जाएगा, उपरोक्त अभ्यास इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। याचिकाकर्ता अधिकारियों के साथ सहयोग करेगा।

पुनः : सीडब्ल्यूजेसी संख्या 470 2024, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17613 2023, सीडब्ल्यूजेसी सं. 17636 2023, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17652 2023, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17654 2023, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17920 2023, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17922 2023, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 18089 2023, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 18297 2023, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 18326 2023, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 18394 2023, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 18473 2023, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2023 का 18497, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2023 का 18662, 2024 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 15, 2024 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 136, 2024 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 211, 2024 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 312, 2024 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 343, 2024 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 345, 2024

का सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 356, 2024 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 430, 2024 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 542, 2024 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 549

23. ये मामले सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17914/2023 (मेसर्स उत्कृष्ट ट्रेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) के समान हैं और याचिकाकर्ताओं एवं प्रतिवादियों के संबंधित वकीलों द्वारा इस पर कोई विवाद नहीं किया गया है। तदनुसार, प्रत्येक याचिका में लगाए गए आदेशों को रद्द किया जाता है और मामले को राज्य कर उपायुक्त, पाटलिपुत्र अंचल, केंद्रीय प्रमंडल, पंत भवन, बेली रोड, पटना को वापस भेजा जाता है ताकि सीजीएसटी अधिनियम के नियम 16 (2) (बी) के अनुपालन के संबंध में नए सिरे से कार्रवाई की जा सके, केवल इस सीमा तक कि क्या याचिकाकर्ता-डीलर के बीच आपूर्तिकर्ता और अंतिम उपभोक्ता के साथ माल की प्राप्ति (आपूर्तिकर्ता द्वारा सीधे या ट्रांसपोर्टर के माध्यम से माल की डिलीवरी या नहीं) की सीमा तक कोई समझौता ज्ञापन है? यदि इन सामग्रियों की जांच की जाती है और सामग्री जानकारी याचिकाकर्ता के पक्ष में होती है, तो उस स्थिति में, संबंधित प्राधिकारी को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण करने का निर्देश दिया जाता है।

(पी. बी. भजंजी, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

गौराव एस./-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।